

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/(48/2008)/अलेसे -III/ 255-57

दिनांक :- 20/2/2015

कार्यालय आदेश

श्री राजेन्द्र बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन एवं कार्यालय कोषाधिकारी, बाड़मेर द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसरण में निम्नांकित तालिका अनुसार कुल 90 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) एवं वित्त (राजस्व) विभाग के मेमोरेन्डम एफ.1(2)एफ.डी.(रूल्स)/06 पार्ट-I दिनांक 22.05.2009 एवं 11.06.2014 के क्रम में स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	माह/वर्ष	अवैतनिक अवकाश अवधि	
		दिनांक	अवधि (दिवस)
1.	जून, 2012	29	1
2.	जुलाई, 2012	23	1
3.	अगस्त, 2012	1 से 6, 21	7
4.	दिसम्बर, 2012	26 से 31	6
5.	अप्रैल, 2013	2 से 12, 17 से 30	25
6.	मई, 2013	1 से 8, 16 से 31	24
7.	जून, 2013	7 से 18	12
8.	अक्टूबर, 2013	7 से 18, 28, 29	14
		Total	90



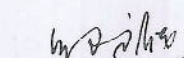
(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(48/2008)/अलेसे -III/ 255-57

दिनांक :- 20/2/2015

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, बाड़मेर को श्री राजेन्द्र बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार के स्वीकृत असाधारण अवकाश का आवश्यक इन्द्राज करने हेतु प्रेषित है।
2. श्री राजेन्द्र बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, बाड़मेर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. एसीपी (कम्प्यूटर अनुभाग) कार्यालय हाजा को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।


(जसवन्त सिंह)